फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत .... मुकाम ....

.... सरकार .... बनाम ....

स्म मुकदमा .... नम्बर .... 39 .... वर्ष 2022

ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-22	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री ऋषिकेश जांगिड़ पुत्र श्री चिरंजीलाल जांगिड़ निवासी वार्ड नं. 20, भुदोली रोड़, नीमकाथाना, जिला सीकर मैसर्स– ऋषि मशाला उद्योग, वार्ड नं. 20, भुदोली रोड़, नीमकाथाना, जिला सीकर, उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 23.02.2022 को समय 11:40 ए.एम. पर नीमकाथाना–सीकर में निरीक्षण के लिए मैसर्स– ऋषि मशाला उद्योग पर पहुंचा। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स– ऋषि मशाला उद्योग, में अप्रार्थी लाल मिर्च पाउडर (ऋषि) का विक्रय कर रहा था। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम बताया। ऋषिकेश जांगिड़ महेश कुमार से वर्ष 2022 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2022 होना बताया व दिखाया। फर्म पर ऋषिकेश जांगिड़ द्वारा मशाले वाले खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध लाल मिर्च पाउण्डर(ऋषि) के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राति रसीद ली। नमूना जांच, लाल मिर्च पाउण्डर(ऋषि) 4×500 ग्राम खरीदा जिसकी किमत विक्रेता को 480रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना मिंथ्याछाप लाल मिर्च पाउण्डर(ऋषि) पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया ... नम्बर एफ–2677 खाद्य पदार्थ लाल मिर्च ... गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला ... रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण मिथ्याछाप लाल मिर्च पाउण्डर(ऋषि) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 11:48:16 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक हैं तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण के 21,000 रू का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बंर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना सीकर (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	
22/9/22	पत्रावली अप्रार्थी द्वारा जुर्माना राशि जरिए चालान जमा करवाई जाकर एक प्रति पेश होने पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चालान कि प्रति शामिल पत्रावली कि गई। कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 11:08:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner